

6-11-18

पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आइन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 18-11-18 को पेश हो

  
जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा

28-11-18

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आइन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 26-12-18 को पेश हो।

आदेश से

26-12-18

पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आइन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 16-1-19 को पेश हो।

16-1-19

  
जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा

16-01-2019 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष साधेवक्ता उपस्थित प्राधो के प्राधेनास अन्तर्गत अदेश 9 नियम 9 का. दो. पर बहस शुरू गयी। प्राधो के प्रकार संख्या 08/2018 में सुनवाई दिनांक 25-10-18 को प्राधो एवं प्राधो साधेवक्ता के उपस्थित नहीं होने के प्रकार अदम हजरे व अदम यरवी के खारिज किया गया। प्राधो ने पेश दिनांक 25-10-18 के बजाय 25-11-18 सुनने से सुनवाई दिनांक 25-10-18 को उपस्थित नहीं हो सके। शपथपत्र प्रस्तुत कर प्रकार के पुनः नानवर पर विवे जानने को प्राधेना के पुनः नानवर ने को आसती को प्राधेना के पुनः नानवर न्याय को हाफ के प्राधो को प्राधेनास 0-0-19 जा हो खारिज किया जाता है।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा